न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 641/2023

अनवान : –

1. राजपाल पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **असल प्रतिवादी**

2. अनु देवी पत्नी आनन्द कुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
3. अनुसूईया पत्नी राजपाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 16/02/26

क्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक न. 5 जे.एस.एन. तहसील नोहर जमांबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 116/66 के प.न. 357/380 (41) कि.न. 2/2 की 0.2270, 3/2 की 0.2280, 4/2 की 0.2270, 5/1 की 0.0250, 5/2 की 0.2280, 6/1 की 0.0250, 6/2 की 0.2280, 7 ता 9 की 0.7590 प.न. 358/379 (25) कि.न. 20/2 की 0.2280, 21/0.2530 प.न. 358/380 (42) कि.न. 1/2 की 0. 2280, 9/2 की 0.0380, 10/2 की 0.2400 कुल 2. 9340 हैक्टेयर भूमि जिसमें 0.0500 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता 2.8840 हैक्टेयर नहरी भूमि में वादी 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी न. 2 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी न. 3 का 1/3 हिस्सा के खातेदार कास्तकार हैं।

रोही मौजा चक न. 5 जे.एस.एन. तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 116/66 के प.न. 357/380 (41) कि.न. 2/1 की 0.0260. 3/1 की 0.0250, 4/1 की 0.0260 प.न. 358/380 (42) कि.न. 1/1 की 0.0250 कुल 0.1020 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता भूमि में बादी 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी न. 2 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी न. ३ का 1/6 हिस्सा के काबिज खातेदार कास्तकार हैं। वादी एवं प्रतिवादी न. 2 ता 3 अपने हक व हिस्सा की भुमि को कास्त करते एवं रकम राज अदा करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी न. 2 ता 3 की उक्त भूमि के पूर्व में फेफाना से पदमपुरा आम सडक है एवं उतर में नोहर से सिरसा सड़क है जो सदामत से चली आ रही है उक्त [illegible] अलावा वादी एवं प्रतिवादी न. 2 ता 3 की कृषि भूमि में प.न. 357/380 (41) कि.न. 2/[illegible] 4/1 प.न. 358/380 (42) कि.न. 1/1 में कभी कोई रास्ता चालु नहीं रहा ना ही कि[illegible] कास्तकार को उक्त [illegible] की आवश्यकता है काबिल कास्त भूमि है जो हमेशा से कास्त होती आ रही हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:21 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा चक न. 5 जे.एस.एन. तहसील नोहर जमांबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 116/66 के प.न. 357/380 (41) कि.न. 2/1 की 0.0260, 3/1 की 0.0250, 4/1 की 0.0260 प.न. 358/380 (42) कि.न. 1/1 की 0.0250 कुल 0.1020 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जबकि उक्त रास्ता से कभी भी आवागमन नहीं रहा ना ही रास्ता की आवश्यकता है अन्य सभी कास्तकारो के अपने अपने खेत आपे जाने के रास्ते है काबिल कास्त भूमि है जो कास्त होती आ रही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहवन से प.न. 357/380 (41) कि. न. 2/1 की 0.0260, 3/1 की 0.0250, 4/1 की 0.0260 प.न. 358/380 (42) कि.न. 1/1 की 0.0250 कुल 0.1020 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जिससे वादी एवं प्रतिवादी न. 2 ता 3 के खातेदारी हकूक का हनन् होता है इसलिये वादी अपने हकूक की घोषणा करवाकर रोही मौजा चक न. 5 जे.एस.एन. तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 116/66 के प.न. 357/380 (41) कि.न. 2/1 की 0.0260, 3/1 की 0.0250. 4/1 की 0. 0260 प.न. 358/380 (42) कि.न. 1/1 की 0.0250 कुल 0.1020 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर वादी एवं प्रतिवादी न. 2 ता 3 के नाम मुमकिन दर्ज करवाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है। रोही मौजा चक न. 5 जे.एस.एन. तहसील नोहर जमांबन्दी सम्बत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 116/66 के प.न. 357/380 (41) कि.न. 2/1 की 0.0260, 3/1 की 0.0250, 4/1 की 0.0260 प.न. 358/380 (42) कि.न. 1/1 की 0.0250 कुल 0.1020 हैक्टयर गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिये प्रतिवादी न. 1 वादी एवं तरतीबी न. 2 ता 3 के खिलाफ तावान नाजायज काश्त एवं बेदखली की कार्यवाही कर रहा है यदि प्रतिवादी न. 1 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादी को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी प्रकार से सम्भव नही है इसलिये वादी प्रतिवादी न. 1 के खिलाफ विवादित भूमि कि मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी करवाने का अधिकारी है।

वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की विवादित भूमि रोही मौजा चक न. 5 जे.एस.एन. तहसील नोहर जमांबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 116/66 के प.न. 357/380 (41) कि.न. 2/1 की 0.0260, 3/1 की 0.0250, 4/1 की 0.0260 प.न. 358/380 (42) कि.न. 1/1 की 0.0250 कुल 0.1020 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता भूमि के वादी 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी न. 2 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी न. 3 का 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा गै0मु0 रास्ता को मुमकिन कर दुरूस्त करे देवे परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 कुछ ... आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:21 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई की उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 दर्ज है लेकिन रास्ता मौके पर बन्द है एवं रास्ते की कोई उपयोगिता नही है।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा चक न. 5 जे.एस.एन. तहसील नोहर जमांबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 116/66 के प.न. 357/380 (41) कि.न. 2/1 की 0.0260, 3/1 की 0.0250, 4/1 की 0.0260 प.न. 358/380 (42) कि.न. 1/1 की 0.0250 कुल 0.1020 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है लेकिन उक्त भूमि कभी भी रास्ता के रूप में नहीं रही है तथा मौके पर कोई रास्ता नही है एवं उक्त भूमि काबिल काश्त है। इसलिए वादी इसे दुरूस्त करवाने का अधिकारी है तथा गै.मु. रास्ता के स्थान पर बतौर खातेदार वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण द्वारा रोही मौजा चक न. 5 जे.एस.एन. तहसील नोहर जमांबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 116/66 के प.न. 357/380 (41) कि.न. 2/1 की 0.0260, 3/1 की 0.0250, 4/1 की 0.0260 प.न. 358/380 (42) कि.न. 1/1 की 0.0250 कुल 0.1020 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता की भूमि को मुमकिन दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की अनुसार उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है लेकिन रास्ता मौके पर बन्द है एवं कोई उपयोगिता नही है लेकिन वादी द्वारा गै0मु0 रास्ता यानि की राजकीय भूमि को खातेदारी/मुमकीन दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है एवं गै0मु0 रास्ता /राजकीय भूमि को मुमकिन/खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का कोई प्रावधान नही है व नही राजकीय सार्वजनिक उपयोग की भूमि को सीधे ही बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी नही है। अतः गै0मु0 रास्ता की भूमि को मुमकिन/ खातेदारी दर्ज किया जाना उचित नही है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/02/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:21 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 641/2023

अनवान : –

1. राजपाल पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– असल प्रतिवादी

2. अनु देवी पत्नी आनन्द कुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
3. अनुसूईया पत्नी राजपाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 641 सन 2023 निर्णय दिनांक 16/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री हवासिंह पूनियां एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:21 IST
Reason: SelfAttested